

giving reasons for immediate legislation by the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1984.

### MATTERS UNDER RULES 377

- (i) Compensation to farmers of Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh whose crops have been destroyed because of breach in Bhakra Canal and non-availability of electricity to Tube-wells.

श्री मनी राम बागड़ी (हिंसार) : अध्यक्ष महोदय, इस दफा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यू० पी० में खास तौर से और समूचे देश के किसानों के साथ आम तौर से विशेष दुर्घटनाएं और दुर्व्यवहार हुए हैं। खरीफ की बुवाई के वक्त जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नहर भाखड़ा का काट देना, ट्यूबवैलों की बिजली न मिलना और फिर अगर थोड़ी-बहुत फसल बुवाई की जाए, तो बाजरे के बीज में लेकर नर्म और कपास का बीज मिलावटी मिलना और न मिलना। इसी तरह खाद का न मिलना और मिलावटी मिलना। जो फसल बोई गई, वक्त पर पानी न मिलने की बिना पर, तेज भूप की बिना पर, रही किस्म के खाद और बीज की बिना पर फसल तकरीबन सूख गई। किसान भयंकर अकाल की चपट में है और अगली फसल तक किसान अपनी जीविका नहीं चला सकता।

यह ठीक है कि ऐसा कोई कानून या व्यवस्था अभी तक देश में नहीं बनाई गई, जिससे कि किसान को मदद मिले। लेकिन कभी न कभी तो यह परम्परा बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई गई, तो देश तबाह हो जाएगा। खास तौर से हरियाणा को समूचे देश में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरह से किसान बर्बाब हो गए हैं।

केन्द्र सरकार से अपील है कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मुआवजा अगर दे सके, तो किसानों को मुआवजा दे, और अगर मुआवजा न दे सके, तो बगैर ब्याज के किसानों को कर्जा दिया जाए, ताकि किसान जिन्दा रह सकें और अगली फसल उगा सकें। नहर भाखड़ा के काटने की जिम्मेदारी जिस प्रान्त में कटे उसी की हो और जितना नुकसान आगे के किसानों का हो, उसका मुआवजा उस प्रान्तीय सरकार में लेकर दूसरे प्रान्तों के किसानों को दे।

12.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

- (ii) Measures needed for social and economic upliftment of women.

SHRI KAMAL NATH (Chhindwara) ; It is unfortunate that the status of women has not been properly defined in the economic and social uplift programmes. The two major indices—of literacy, where for every ten literate men there are only seven literate women, and the index of mortality—where the life expectancy of women, is five years less than that of men, women, in fact, are to be regarded as an economically weaker sections. With the slow impact of progress on the social family pattern, women's dependence on the financial support from husbands is in constant jeopardy.

In the economic and social uplift programme, the Indian women face discrimination in wage structure and financial opportunities. Whether it be the public or the private sector, women receive lesser wages than men. The tea Gardens have women earning 60 per cent of the men's wages. Job opportunities are denied to most but a small fraction of thousands of women graduating each year. It is, therefore, my contention that a series of measures should be envisaged to extend such social and economic independence to women that would enable them to be rehabilitated in our society with full justice, economic and social. The banks

should give loans to women entrepreneurs at differential rates of interest as a part of the special scheme for economically weaker sections. Similarly, there should be a twentyfive per cent reserved quota of jobs for women under the Integrated Rural Development Projects and National Rural Employment Project schemes of the 20-point programme. In addition, there should be immediate legislation to ensure equal wages in all sectors that involve skill and not just manual labour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Kamal Nath, economic independence has already been obtained by men. Men have already got economic independence.

(Interruptions)

SHRI KAMAL NATH : The women Members should take this up. Since the women Members have not taken this up, I am compelled to do so.

(iii) Providing adequate funds in Seventh Five Year Plan for development of desert areas of the Country.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ :

पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र देश के सब से पिछड़े क्षेत्र हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर गया है परन्तु केन्द्र सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास में जो अभिरुचि दिखानी चाहिए, नहीं दिखाई।

योजना मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में मापदण्डों को यदि परिवर्तन किया गया तो स्थिति में डिस्टार्शन पैदा होगी और यह आश्वासन दिया था कि जब सातवीं पंचवर्षीय

योजना बनेगी तब इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया जा रहा है। अतः मैंने योजना मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री एवं प्रधान मंत्री तक का भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया।

प्रधान मंत्री जी ने भी प्लानिंग कमिशन का ध्यान आकर्षित किया कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों को अधिक राशि प्रदान करने पर गौर करें।

छठी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जब कि उनका क्षेत्रफल 2 लाख 31 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या सन् 1971 की जनसंख्या के अनुसार करीब 4 करोड़ है, 560 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की थी जिस में 90 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन था जब कि उसके मुकाबले रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जब कि उसका क्षेत्रफल 2 लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीब 2 करोड़ थी, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिस में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं 50 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा था।

अतः केन्द्रीय सरकार से पुरजोर आग्रह एवं निवेदन है कि उक्त विषमता को मिटाने के लिए केन्द्रीय सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के समकक्ष मरु क्षेत्रों के विकास में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करे जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन हो।